आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग

क्रमांकः–एफ.5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट–II/810 दिनांकः–7.7.2022

परिपत्र

कोविड–19 महामारी के कारण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली, के निर्देशानुसार राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट–1/1662 दिनांक 10.08.2020 की निरन्तरता में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट–1/2229 दिनांक 30.12.2021 द्वारा राज्य की प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2022 कर दी गई थी।

कोविड–19 महामारी के कारण मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुये महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के दिशा–निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण समय सीमा पुनः 30 जून, 2022 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2022 की जाती है।

उषा

(उषा शर्मा)

मुख्य सचिव

Contact us-0141-2850227, 02850228 **Email-** jdcoord.des@rajasthan.gov.in
Website- http://plan.rajasthan.gov.in/statistics

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
4. वरिष्ट उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
7. समस्त संभागीय आयक्त/जिला कलेक्टर्स।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान गजट में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायलय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
4. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके पत्रांक एफ. 9/33/2019–सीडी (सी.ई.एन) दिनांक 14 जून 2022 के क्रम में।
5. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, झालाना डूंगरी, जयपुर।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 16, गुरूवार, शाके 1944-जुलाई 07, 2022

Asadha 16, Thursday , Saka 1944- July 07, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सांख्यिकी विभाग

परिपत्र

जयपुर, जुलाई 7, 2022

संख्या प.5(64)सीओआई/सम/डीईएस:- कोविड-19 महामारी के कारण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली, के निर्देशानुसार राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/ पार्ट-1/1662 दिनांक 10.08.2020 की निरन्तरता में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)/सीओआई/सम/ डीईएस/2019/ पार्ट-1/2229 दिनांक 30.12.2021 द्वारा राज्य की प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2021 से बढाकर 30 जून, 2022 कर दी गई थी।
कोविड-19 महामारी के कारण मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुये महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण समय सीमा पुनः 30 जून, 2022 से बढाकर 31 दिसम्बर, 2022 की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

उषा शर्मा,

मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।